[2020] 3 उम. नि. प. 330

पर्वत सिंह और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[2020 की दांडिक अपील सं. 374]

2 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/149 और 450 – हत्या – दोषसिद्धि – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य – घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन में विरोधाभास, लोप और सुधार पाया जाना – जहां घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन में अभियुक्तों की शनाख्त, उनके द्वारा लिए हुए आयुधों, घटना कारित होने की रीति के बारे में विरोधाभास, लोप और सुधार पाए गए हों, वहां अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, इत्तिलाकर्ता मुल्लो बाई-अभि. सा. 8 पशुओं के लिए छप्पर में सो रही थी । उस समय अपीलार्थियों और बाल किशन पुत्र धीमान सिंह नामक एक अन्य अभियुक्त ने सामान्य उद्देश्य को सांझा करते हुए बाल किशन पुत्र भगवान सिंह की हत्या कर दी । इत्तिलाकर्ता के अनुसार पक्षकारों के बीच एक विवाद चल रहा था । अभियोजन के पक्षकथन और इत्तिलाकर्ता के अनुसार, जब वह अपने मकान के पशुओं के छप्पर में सो रही थी, लगभग 4-5 बजे भौर में कुत्तों के भौंकने के कारण वह जाग उठी और टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि पशुओं के लिए छप्पर में अभियुक्त बाल किशन कुल्हाड़ी के साथ और अन्य मूल अभियुक्त सं. 2-5 अपने हाथों में डंडे/लाठियां लिए हुए खड़े थे । उसके पश्चात्, अभियुक्त बाल किशन पशुओं के छप्पर में घुसा और उसके पुत्र बाल किशन को मारने के आशय से कुल्हाड़ी से एक प्रहार किया । वह चिल्लाई और परिवार के अन्य सदस्य तथा निकटवर्ती मकान के व्यक्ति वहां आए और सभी अभियुक्त घटनास्थल से भाग

गए । पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने चिकित्सीय साक्ष्य सहित सुसंगत साक्ष्य तथा मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट भी अभिप्राप्त की । सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 और धारा 450 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्रित किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परिशीलन करने और मुल्लो बाई-अभि. सा. 8, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के एकमात्र साक्ष्य का अवलंब लेने के पश्चात् सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 ने उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक अपील फाइल की । मूल अभियुक्त सं. 1 ने भी एक अलग अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त सं. 2 से 5 द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1-बाल किशन द्वारा फाइल की गई अपील भी खारिज कर दी । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्तों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । अभियुक्त सं. 1 द्वारा फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा शेष अभियुक्तों की अपील को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – घटना के समय पर काली रात (अमावस्या) थी । घटना पूर्वाह्न में 4-5 बजे के बीच घटी थी, इसलिए काली रात थी । अभि. सा. 8 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन में यह कहा कि उसने टॉर्च की रोशनी में सभी अभियुक्तों को देखा था । उसने यह कहा कि बाल किशन-मूल अभियुक्त सं. 1 के पास कुल्हाड़ी थी और अन्य चारों अभियुक्त लाठियों से लैस थे । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में यह भी कहा था कि बाल किशन-मूल अभियुक्त सं. 1 ने दुश्मनी और पूर्ववर्ती विवाद को लेकर मृतक की गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था

और यह बताया कि अन्य अभियुक्त तुरंत भाग गए थे तथा उसके पश्चात् सभी पांचों अभियुक्त पशुओं के छप्पर/मकान के पीछे से भाग गए थे । उसने यह कथन किया कि उसने सभी अभियुक्तों की टॉर्च की रोशनी में और उनकी आवाज से भी शनाख्त की थी । उसके अनुसार उसके चिल्लाने के पश्चात् अन्य व्यक्ति आए थे । तथापि, न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके अभिसाक्ष्य में तात्विक सुधार है । अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह कथन किया था कि अभियुक्त संतोष और राकेश ने बाल किशन-मृतक को पकड़ा था । अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह भी कथन किया कि पशुओं के छप्पर में एक चिमनी की रोशनी थी । उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कथन किया था कि अभियुक्त निकटवर्ती गन्ने के खेत में भाग गए थे । इसलिए अभि. सा. 8 का अभिसाक्ष्य, जहां तक इसका संबंध मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 से है, तात्विक विरोधाभासों और सुधारों से भरा है । यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अभि. सा. 8 द्वारा नामित किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी ने भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था । यद्यपि, अभि. सा. 8 के अनुसार, उसने टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तों की शनाख्त की थी, तो भी किसी टॉर्च की बरामदगी नहीं हुई थी । जहां तक चिमनी की रोशनी का संबंध है, इस बारे में तात्विक सुधार किया गया है । अपने अभिसाक्ष्य में उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 लाठियां लिए हुए थे, यद्यपि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में यह बात कही थी । उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए उसके इस कथन का अवलंब लेकर यह मत व्यक्त किया कि इस अपील में अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 2 से 5 लाठियां लिए हुए थे । तथापि, विधि की स्थिर प्रतिपादना के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन साक्ष्य में अग्राह्य है और उसका अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । विधि की स्थिर प्रतिपादना के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन केवल विरोधाभासों और/या लोपों को साबित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है । अत: उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए कि अपीलार्थी लाठियां लिए हुए थे, अभि. सा. 8 के दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन का अवलंब लेकर गलती की है । इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में कदापि यह नहीं कहा था कि अभियुक्त संतोष और राकेश ने बाल किशन को पकड़ लिया था, अपितु यह कहा था कि इस अपील में अपीलार्थी भाग गए थे क्योंकि अन्य व्यक्ति जाग गए थे । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां तक अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 का संबंध है, उसके कथन में तात्विक विरोधाभास, लोप और/या सुधार हैं और इसलिए इस न्यायालय की यह राय है कि एकमात्र साक्षी-अभि. सा. 8 के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है । तात्विक विरोधाभासों, लोपों और सुधारों का फायदा अवश्य ही अपीलार्थियों के पक्ष में जाना चाहिए । इसलिए अपीलार्थी संदेह का फायदा दिए जाने के हकदार हैं । अब, जहां तक राज्य की ओर से इस दलील का कि अभि. सा. 8 के अभिसाक्ष्य का अवलंब लेकर मूल अभियुक्त सं. 1 को दोषसिद्ध किया गया था और उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि इस न्यायालय तक की गई है और इसलिए अन्य अभियुक्तों के संबंध में वर्तमान अपील को खारिज किया जाए, का संबंध है, अभिलेख पर के साक्ष्य और जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 का मामला तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय है । अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 के संबंध में साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास और लोप हैं । जहां तक मूल अभियुक्त सं. 1 का संबंध है, अभि. सा. 8 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में तथा न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में अडिग रही है । अभियुक्त सं; 1 के बताने पर उसके द्वारा अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी बरामद की गई थी । इन परिस्थितियों में, मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 का मामला मूल अभियुक्त सं. 1 के मामले से स्पष्ट रूप से प्रभेदनीय है । इसमें ऊपर वर्णित कारणों से, इस न्यायालय की यह दृढ़ राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए अभि. सा. 8 के कथन में तात्विक विरोधाभास, लोप और सुधारों तथा अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 2 से 5 के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य कि एक पूर्ववर्ती दुश्मनी थी और किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, को देखते

हुए इस न्यायालय की यह राय है कि इस अपील में अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए । (पैरा 14.1, 14.2 और 15)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील सं. 374.

2006 की दांडिक अपील सं. 574 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा तारीख 19 अप्रैल, 2018 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री ए. के. श्रीवास्तव, ज्येष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री मधुरिमा मृदुल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 ने 2006 की दांडिक अपील सं. 574 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा तारीख 19 अप्रैल, 2018 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए की गई दोषसिद्धि की अभिपुष्टि की है ।

3. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्तों का बाल किशन पुत्र इत्तिलाकर्ता मुल्लो बाई की गांव हिनोतिया गिर्द ने तारीख 1 दिसंबर, 2005 को लगभग 4-5 बजे पूर्वाह्न में हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए विचारण किया गया था ।

4. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, इत्तिलाकर्ता मुल्लो बाई-अभि. सा. 8 पशुओं के लिए छप्पर में सो रही थी । उस समय अपीलार्थियों और बाल किशन पुत्र धीमान सिंह नामक एक अन्य अभियुक्त ने सामान्य उद्देश्य को सांझा करते हुए बाल किशन पुत्र

भगवान सिंह की हत्या कर दी । इत्तिलाकर्ता के अनुसार पक्षकारों के बीच एक विवाद चल रहा था । अभियोजन के पक्षकथन और इत्तिलाकर्ता के अनुसार, जब वह अपने मकान के पशुओं के छप्पर में सो रही थी, लगभग 4-5 बजे भौर में कुत्तों के भौंकने के कारण वह जाग उठी और टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि पशुओं के लिए छप्पर में अभियुक्त बाल किशन कुल्हाड़ी के साथ और अन्य मूल अभियुक्त सं. 2-5 अपने हाथों में डंडे/लाठियां लिए हुए खड़े थे । उसके पश्चात्, अभियुक्त बाल किशन पशुओं के छप्पर में घुसा और उसके पुत्र बाल किशन को मारने के आशय से कुल्हाड़ी से एक प्रहार किया । वह चिल्लाई और परिवार के अन्य सदस्य तथा निकटवर्ती मकान के व्यक्ति वहां आए और सभी अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । अन्वेषण महेश शर्मा-अन्वेषक अधिकारी-अभि. सा. 12 द्वारा किया गया था । उसने संबंधित साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । अन्वेषक अधिकारी ने चिकित्सीय साक्ष्य सहित सुसंगत साक्ष्य तथा मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट भी अभिप्राप्त की । सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 और धारा 450 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्रित किया गया । सभी अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों का विचारण किया गया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध मामले को साबित करने के लिए मृतक की माता-मुल्लो बाई-इत्तिलाकर्ता-अभि. सा. 8, जो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी, सहित सभी 12 साक्षियों की परीक्षा की । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि मृतक की माता मुल्लो बाई एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि मूल अभियुक्त सं. 1 द्वारा अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी स्वयं अभियुक्त सं. 1 के बताने पर बरामद की गई थी । रतन सिंह-अभि. सा. 1 और पहलवान सिंह-अभि. सा. 2 ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया । प्रतिरक्षा के समर्थन में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मूल अभियुक्त सं. 1-बाल किशन के

अन्यत्र उपस्थित होने की कहानी को सिद्ध करने के लिए दो साक्षियों की परीक्षा कराई ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परिशीलन करने और मुल्लो बाई-अभि. सा. 8, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के एकमात्र साक्ष्य का अवलंब लेने के पश्चात् सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया ।

7. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर इस अपील में अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की दांडिक अपील सं. 574 फाइल की । मूल अभियुक्त सं. 1 ने भी एक अलग अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त सं. 2 से 5-इस अपील में अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1-बाल किशन द्वारा फाइल की गई अपील भी खारिज कर दी । यह बताया गया है कि मूल अभियुक्त सं. 1-बाल किशन की दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 ने यह अपील फाइल की है ।

8. सभी अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री ए. के. श्रीवास्तव ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करके और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि करके तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध करके सारभूत गलती की है ।

8.1. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उचित रूप से

मूल्यांकन नहीं किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को एकमात्र रूप से मुल्लो बाई-अभि. सा. 8 के साक्ष्य और अभिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए दोषसिद्ध किया था ।

8.2. यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया कि जहां तक अभि. सा. 8 के साक्ष्य/अभिसाक्ष्य का संबंध है, यह तात्विक विरोधाभास और सुधारों से भरा पड़ा है ।

8.3. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया कि जब घटना घटी थी तब अंधेरी रात थी, वहां अंधेरा था और मुल्लो बाई के लिए अभियुक्तों-अपीलार्थियों को पहचानना/शनाख्त करना संभव नहीं था ।

8.4. यह भी दलील दी गई कि इसलिए जहां तक टॉर्च की रोशनी में या चिमनी की रोशनी से अपीलार्थियों की शनाख्त करने/पहचानने का संबंध है, अभि. सा. 8 के अभिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास था । अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह दलील दी गई कि मुल्लो बाई-अभि. सा. 8 का परिसाक्ष्य तात्विक लोपों से ग्रस्त है, जो विरोधाभास तथा घटना के स्थान, जहां वह सो रही थी, के संबंध में न्यायालय में दिए गए उसके कथन में तात्विक सुधार की कोटि में आता है । यह दलील दी गई कि उसने पहली बार न्यायालय में यह कथन किया था कि अभियुक्त संतोष और राकेश ने मृतक को दबोच लिया था और बाल किशन ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से क्षति पहुंचाई थी ।

8.5. यह भी दलील दी गई कि वास्तव में घटनास्थल से कोई टॉर्च बरामद नहीं हुई है ।

8.6. यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई यह मताभिव्यक्ति कि अपीलार्थी लाठियों के साथ गए थे, अभिलेख पर के साक्ष्य के प्रतिकूल है । यह दलील दी गई कि अभि. सा. 8-मुल्लो बाई ने अपने अभिसाक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि अपीलार्थी लाठियां लिए हुए थे । यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए उसके कथन में उसने यह कहा था कि अपीलार्थी लाठियां लिए हुए थे किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 8 के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन का एकमात्र रूप से अवलंब लेकर यह मत व्यक्त करके गंभीर गलती की है कि अपीलार्थियों के पास लाठियां थीं ।

8.7. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि इसलिए मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य और/या उनके बीच रचे गए षड्यंत्र के बारे में कोई तर्कपूर्ण सामग्री और/या साक्ष्य नहीं है । यह दलील दी गई कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध किया गया है । यह दलील दी गई कि अत: सामान्य आशय/उद्देश्य की कहानी के अभाव में अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से भारतीय दंड संहिता 302 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था ।

8.8. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि मुल्लो बाई-अभि. सा. 8 का भी यह अभिसाक्ष्य है कि पक्षकारों के बीच विवाद चल रहा था । यह दलील दी गई कि अत: अपीलार्थियों को मिथ्या रूप से फंसाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है । यह दलील दी गई कि इसलिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि एकमात्र रूप से अभि. सा. 8 के साक्ष्य/बयान पर आधारित है और किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है तथा अभि. सा. 8 का साक्ष्य/बयान विरोधाभासों, लोपों और सुधारों से भरा है, इसलिए एममात्र रूप से अभि. सा. 8 के साक्ष्य/बयान का अवलंब लेकर अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है ।

8.9. अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 का मामला तथ्यों के आधार पर मूल

अभियुक्त सं. 1 के मामले से स्पष्ट रूप से प्रभेदनीय है । यह भी दलील दी गई कि जहां तक मूल अभियुक्त सं. 1 का संबंध है, इनके मामले में कोई अधिक विरोधाभास और सुधार नहीं हैं । यह भी दलील दी गई कि जहां तक अभियुक्त सं. 1 का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि अभि. सा. 8 का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन किया गया उसका कथन तथा न्यायालय के समक्ष दिया गया उसका अभिसाक्ष्य संगत रहा है । यह दलील दी गई कि जहां तक कि अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी की बरामदगी भी मूल अभियुक्त सं. 1 के बताने पर की गई थी । यह दलील दी गई कि अतः मूल अभियुक्त सं. 1 के संबंध में विशेष इजाजत याचिका की खारिजी इस अपील के आड़े नहीं आएगी । यह भी दलील दी गई कि अन्यथा भी वह विशेष इजाजत याचिका आरंभ में ही खारिज की गई थी और इसलिए यह अनुरोध किया गया कि वर्तमान अपील पर इसके अपने गुणागुण के आधार पर विचार किया जाए ।

9. उपरोक्त दलीलें देते हुए इस अपील को मंजूर करने का अनुरोध किया गया है ।

10. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् अधिवक्ता सुश्री मधुरिमा मृदुल द्वारा इस अपील का जोरदार रूप से विरोध किया गया ।

11. राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध करते हुए दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । यह दलील दी गई कि विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित हैं और इसलिए इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन निष्कर्षों में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

11.1. राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा

यह भी दलील दी गई कि वर्तमान मामले में यद्यपि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि एकमात्र रूप से अभि. सा. 8-मुल्लो बाई के अभिसाक्ष्य पर आधारित है, तथापि, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एकमात्र साक्षी, विशिष्ट रूप से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का अवलंब लेकर कोई दोषसिद्धि न की जा सकती हो । यह दलील दी गई कि घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी स्वाभाविक है क्योंकि घटना उसके मकान में और उस स्थान के निकट घटी थी, जहां वह सो रही थी । यह दलील दी गई कि क्योंकि वह घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इसलिए दोनों न्यायालयों ने अभि. सा. 8-मुल्लो बाई के बयान/साक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करके न्यायोचित किया है ।

11.2. राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 8, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, की परीक्षा करके घटनास्थल पर अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 की मौजूदगी को सिद्ध और साबित किया गया है । यह दलील दी गई कि घटना के समय पर और वह भी भौर में 4-5 बजे के बीच घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है ।

11.3. राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि अभि. सा. 8-मुल्लो बाई द्वारा अभियुक्तों की उनकी आवाज़ से भी पहचान/शनाख्त की गई थी और यह कथन अभि. सा. 8 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में किया गया है ।

11.4. राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि मूल अभियुक्त सं. 1 की दोषसिद्धि भी एकमात्र रूप से अभि. सा. 8 के अभिसाक्ष्य का अवलंब लेकर की गई है । यह दलील दी गई कि मूल अभियुक्त सं. 1 की दोषसिद्धि की अभिपुष्टि इस न्यायालय तक ने की है । अत: यह दलील दी गई कि जहां तक अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 का संबंध है, अभि. सा. 8 पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है । अत: यह दलील दी गई कि दोनों निचले न्यायालयों ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता

की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । उपरोक्त दलीलें देने के पश्चात् इस अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है ।

12. संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तार से सुना । हमने विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया और विस्तारपूर्वक विचार किया । हमने अभिलेख पर के साक्ष्य विशिष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए अभि. सा. 8-मुल्लो बाई के कथन तथा न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके साक्ष्य पर भी विस्तारपूर्वक विचार किया ।

13. प्रारंभ में, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 को विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र रूप से अभि. सा. 8-मुल्लो बाई के साक्ष्य/बयान का अवलंब लेकर दोषसिद्ध किया गया है । यह विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है कि एकमात्र साक्षी के साक्ष्य/बयान का अवलंब लेकर दोषसिद्धि की जा सकती है । तथापि, साथ ही साथ, एकमात्र साक्षी के साक्ष्य/बयान का अवलंब लिया तो जा सकता है, बशर्ते यह भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया गया हो तथा अभियोजन के पक्षकथन में कोई तात्विक विरोधाभास और/या लोप और/या सुधार न हों । इसलिए इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न पैदा होता है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 को एकमात्र साक्षी-अभि. सा. 8 के अभिसाक्ष्य का अवलंब लेकर दोषसिद्ध किया जा सकता है और क्या अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 को दोषसिद्ध करने के लिए अभि. सा. 8 एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्षी है ?

14. संबंधित पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमारी यह राय है कि अभि. सा. 8 का साक्ष्य/बयान तात्विक विरोधाभासों, लोपों और सुधारों से भरा पड़ा है ।

14.1. यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि घटना के समय पर काली रात (अमावस्या) थी । चूंकि घटना पूर्वाह्न में 4-5 बजे के बीच

घटी थी इसलिए काली रात थी । अभि. सा. 8 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन में यह कहा है कि उसने टॉर्च की रोशनी में सभी अभियुक्तों को देखा था । उसने यह कहा कि बाल किशन-मूल अभियुक्त सं. 1 के पास कुल्हाड़ी थी और अन्य चारों अभियुक्त लाठियों से लैस थे । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में यह भी कहा था कि बाल किशन-मूल अभियुक्त सं. 1 ने दुश्मनी और पूर्ववर्ती विवाद को लेकर मृतक की गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था और यह बताया कि अन्य अभियुक्त तुरंत भाग गए थे तथा उसके पश्चात् सभी पांचों अभियुक्त पशुओं के छप्पर/मकान के पीछे से भाग गए थे । उसने यह कथन किया कि उसने सभी अभियुक्तों की टॉर्च की रोशनी में और उनकी आवाज से भी शनाख्त की थी । उसके अनुसार, उसके चिल्लाने के पश्चात् अन्य व्यक्ति आए थे । तथापि, न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके अभिसाक्ष्य में तात्विक सुधार है । अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह कथन किया था कि अभियुक्त संतोष और राकेश ने बाल किशन-मृतक को पकड़ा था । अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह भी कथन किया कि पशुओं के छप्पर में एक चिमनी की रोशनी थी । उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कथन किया था कि अभियुक्त निकटवर्ती गन्ने के खेत में भाग गए थे । इसलिए अभि. सा. 8 का अभिसाक्ष्य, जहां तक इसका संबंध मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 से है, तात्विक विरोधाभासों और सुधारों से भरा है । यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अभि. सा. 8 द्वारा नामित किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी ने भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था । यद्यपि, अभि. सा. 8 के अनुसार, उसने टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तों की शनाख्त की थी, तो भी किसी टॉर्च की बरामदगी नहीं हुई थी । जहां तक चिमनी की रोशनी का संबंध है, इस बारे में तात्विक सुधार किया गया है । अपने अभिसाक्ष्य में उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 लाठियां लिए हुए थे, यद्यपि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में यह बात कही थी । उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए उसके इस कथन का अवलंब लेकर यह मत व्यक्त किया कि इस अपील में अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 2 से 5 लाठियां लिए हुए थे । तथापि, विधि की स्थिर प्रतिपादना के अनुसार,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन साक्ष्य में अग्राह्य है और उसका अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । विधि की स्थिर प्रतिपादना के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन केवल विरोधाभासों और/या लोपों को साबित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है । अत: उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए कि अपीलार्थी लाठियां लिया हुए थे, अभि. सा. 8 के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन का अवलंब लेकर गलती की है ।

14.2. जैसा कि इसमें ऊपर अवलोकन किया गया है कि इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में कदापि यह नहीं कहा था कि अभियुक्त संतोष और राकेश ने बाल किशन को पकड़ लिया था, अपितु यह कहा था कि इस अपील में अपीलार्थी भाग गए थे क्योंकि अन्य व्यक्ति जाग गए थे । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां तक अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 का संबंध है, उसके कथन में तात्विक विरोधाभास, लोप और/या सुधार हैं और इसलिए हमारी यह राय है कि एकमात्र साक्षी-अभि. सा. 8 के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है । तात्विक विरोधाभासों, लोपों और सुधारों का फायदा अवश्य ही अपीलार्थियों के पक्ष में जाना चाहिए । इसलिए अपीलार्थी संदेह का फायदा दिए जाने के हकदार हैं ।

14.3. अब, जहां तक राज्य की ओर से इस दलील का कि अभि. सा. 8 के अभिसाक्ष्य का अवलंब लेकर मूल अभियुक्त सं. 1 को दोषसिद्ध किया गया था और उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि इस न्यायालय तक की गई है और इसलिए अन्य अभियुक्तों के संबंध में वर्तमान अपील को खारिज किया जाए, का संबंध है, अभिलेख पर के साक्ष्य और जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 का मामला तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय है । अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 के संबंध में साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास और लोप हैं । जहां तक मूल अभियुक्त सं. 1 का संबंध है, अभि. सा. 8 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में

तथा न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में स्थिर रही है । अभियुक्त सं. 1 के बताने पर इस अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी बरामद की गई थी । इन परिस्थितियों में, मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 का मामला मूल अभियुक्त सं. 1 के मामले से स्पष्ट रूप से प्रभेदनीय है ।

15. इसमें ऊपर वर्णित कारणों से, हमारी यह दृढ़ राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए अभि. सा. 8 के कथन में तात्विक विरोधाभास, लोप और सुधारों तथा अपीलार्थी-अभियुक्त से. 2 से 5 के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य कि एक पूर्ववर्ती दुश्मनी थी और किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, को देखते हुए हमारी यह राय है कि इस अपील में अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए । इन परिस्थितियों में, यह अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थियों-अभियुक्त सं. 2 से 5 को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा जिसकी अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थियों-मूल अभियुक्त सं. 2 से 5 को उन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है जिनके लिए उनका विचारण किया गया था । अपीलार्थियों-अभियुक्त सं. 2 से 5 को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तुरंत रिहा किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.